न्यायालय सहायक कलक्टर, (उपखण्ड अधिकारी) गडरारोड़, बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार प्रथम आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 71/2025

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. किशनसिंह पुत्र भंवरसिंह 2. भगवानसिंह पुत्र भंवरसिंह के कायम मुकाम 2/1. हाकमसिंह पुत्र भगवानसिंह 2/2. रविन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह 2/3. महिपालसिंह पुत्र भगवानसिंह 2/4. उगमकंवर पत्नी भगवानसिंह जातियान राजपूत निवासीयान देदड़ियार तहसील गड़रारोड़ जिला बाडमेर।	**बनाम**	1 चनणसिंह 2.कल्याणसिंह 3. खुमाणसिंह पिसरान रूपसिंह 4. पदमकंवर पत्नी रूपसिंह निवासी अडबाला तहसील व जिला जैसलमेर 5.तहसीलदार व उपपंजीयक गडरारोड़

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री कपिलदान चारण वकील वादी पक्ष।

2. श्री भोपालसिंह भाटी वकील वादी पक्ष

सहायक कलक्टर गडरारोड, जिला बाडमेर

निर्णय

दिनांक 03.02.2026

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पूर्वज एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा देदड़ियार पटवार हल्का फोगेरा तहसील गडरारोड़ व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा नम्बर 22 व 26 रकबा 16.1874 हैक्टेयर व 12.1163 हैक्टेयर की आई हुई हैं। जिसमें वादी के पूर्वज का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/2 खातेदारी अधिकारों का हैं। वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से खुले हुए है, परन्तु हिस्सों व सीमाओं को लेकर उभय पक्षों में विवाद तथा तनाव रहता है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से प्रतिवादीगण उसका फायदा उठाकर मौके की स्थिति में परिवर्तन करने में आमदा है तथा बिना भूमि का विभाजन करवाये निर्माण कार्य कर मौके की स्थिति में परिवर्तन कर रहे है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच पर समान रूप [illegible] संयुक्त खातेदारी की भूमि का अजनबी व्यक्तियों को विधिवत बंटवाड़ा करवाये बिना [illegible] वादीगण के हिस्से व काश्त में जबरन दखलन्दाजी कर रहे है। वादीगण [illegible] काश्त अनुसार बाई मिटस [illegible] बाउण्ड भूमि विभाजन करवाने का अधिकारी है। लिहाजा मौजा देदड़ियार पटवार हल्का फोगेरा तहसील गडरारोड़ व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा नम्बर 22 व 26 रकबा 16.1874 हैक्टेयर व 12.1163 हैक्टेयर भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड भूमि विभाजन करवाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.03.19 13:09:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उक्त वाद में बाद समूचित सुनवाई दिनांक 09.01.2025 को प्राथमिक निर्णय डिक्री अनुसार तहसीलदार भूमि विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा भूमि विभाजन प्रस्ताव न्यायालय को उपलब्ध करवाया गया है कि वर्तमान खसरा संख्या 22 व 26 रकबा क्रमशः 119.05 बीघा और 149.14 बीघा में भंवरसिं ह परिवार का 1/2 हिस्सा व रूपसिंह के परिवार का 1/2 हिस्सा बनता था लेकिन दिनांक 07.09.1975 को रूपसिंह द्वारा खसरा संख्या 22 में अपने हिस्से में से 19.05 बीघा व खसरा संख्या 26 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा अर्थात 74.17 बीघा का बेचान चिंतामणदास पुत्र पूनमचंद जैन निवासी बालेबा को कर दिया। इस दौरान इन खसरों के नए खसरे संख्या क्रमश 22/1 तथा 26/1 कायम होकर मूल खसरो से विभक्त हो गए और मूल खसरों का रकबा कम हो गया। तत्पश्चात नये खसरे कायम 22/1 व 26/1 वर्तमान खसरा संख्या 191/22 और 192/26 का जरिये खास मुख्यतार नामा चिंतामणदास द्वारा अपने पुत्र मेवाराम के द्वारा वापस से बेचान दिनांक 16.04.1988 को उक्त खसरो के सम्पूर्ण रकबे का बेचान भंवरसिंह के परिवार को कर दिया गया है। खसरा संख्या 22 में रूपसिंह द्वारा अपने हिस्से में से 19.05 बीघा का बेचान करने के उपरांत इनके हिस्से में 101/250 भूमि बचती हैं और भंवरसिंह परिवार का हिस्सा 149/250 बनता हैं। खसरा संख्या 26 में रूपसिंह द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान करने व खसरा संख्या अलग कायम होने के उपरांत भी वर्तमान जमाबंदी में भूलवश रूपसिंह परिवार का नाम दर्ज है। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई। तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन पर वकील वादीगण ने अपनी सहमति प्रकट की। उक्त भूमि विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड तथा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है, जो विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित थे। वकील वादीगण द्वारा प्रकरण को नियमानुसार निस्तारण करने का निवेदन किया। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने से वादों के निस्तारण एवं वाद बहुलता रोकने हेतु तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद पत्र एवं तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर मौजा देदड़ियार पटवार हल्का फोगेरा तहसील गडरारोड़ व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 22 व 26 रकबा 16.1874 हैक्टेयर व 12.1163 हैक्टेयर भूमि का खातेदारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.03.19 13:09:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

	खातेदरान	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान	बंरग
	1.कलसिंह पुत्र रूपसिंह हि . 1/4 जाति राजपूत सा. फोगेरा खातेदार 2.खुमाणसिंह पुत्र रूपसिंह हि. 1/4 जाति राजपूत सा. फोगेरा खातेदार 3.चनणसिंह पुत्र रूपसिंह हि. 1/4 जाति राजपूत सा. फोगेरा खातेदार 4.पदम कंवर पत्नी रूपसिंह हि. 1/4 सा. फोगेरा खातेदार	देदड़ियार	22	6.5356	बा.सो	1.16	नीला (ए)
		योग	1	6.5356		1.16	
2.	1.किशनसिंह पुत्र भंवरसिंह हि . 1/2 जाति राजपूत सा. फोगेरा खातेदार 2.उगमकंवर पत्नी भगवानसिंह हि. 1/8 जाति राजपूत सा. फोगेरा खातेदार रहिन बैंक ऑफ इंडिया शाखा रामसर 3.महिपालसिंह पुत्र भगवानसिंह हि. 1/8 जाति राजपूत सा. फोगेरा खातेदार 4.रविन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह हि. 1/8 जाति राजपूत सा. फोगेरा खातेदार 5.हाकमसिंह पुत्र भगवानसिंह हि. 1/8 जाति राजपूत सा. फोगेरा खातेदार रहिन हि. 1/8 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रामसर	देदड़ियार	22	9.6518	बा.दो.	1.84	लाल (बी)
			26	12.1163	बा.दो.	2.30	
		योग	02	21.7681		4.14	

तहसीलदार गडरारोड़ तदनुसार राजस्व अभिलेख अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) गडरारोड

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.03.19 13:09:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner